<u>कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई)</u>

<u>जून 2021 माह का सारांश</u>

माह के मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

1. कोविड-19 के दौरान जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष कौशल कार्यक्रम: देश भर में कुशल स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी को जल्दी से पूरा करने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने एक विशेष कार्यक्रम 'कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम' प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (पीएमकेवीवाई 3.0) के तहत स्केल, स्पीड और मानकीकृत कौशल इकोसिस्टम के अनुसार 'कोविड वारियर' के लिए तैयार किया और आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में एक लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को छह कस्टम मेड जॉब रोल्स में प्रशिक्षित करना है, जिसमें अनुमानित परिव्यय 273 करोड़ रुपए (लगभग) है।

यह कार्यक्रम 18 जून 2021 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 26 राज्यों और 100 जिलों के 111 प्रधान मंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके) और अन्य संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) में प्रशिक्षण की शुरुआत के साथ शुरू किया गया था।

2. कोविड के कारण जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए अन्य पहलें:

इसके अलावा, कोविड प्रबंधन के कारण उत्पन्न होने वाली जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीन नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए:

i. तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (एलएमओ) के परिवहन में एचएमवी लाइसेंसधारक चालकों के लिए 27 दिनों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण।
ii. देश में स्थापित किए जा रहे पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों के संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 18000 आईटीआई पास आउट्स का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण।
iii. वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंटेटर जैसी श्वसन मशीनों को बनाए रखने के लिए लगभग 8000 आईटीआई पास आउट्स का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण।

3. शिक्षुता अधिनियम में संशोधन: "युवाओं के लिए शिक्षुता के अवसरों को बढ़ाना- शिक्षु अधिनियम, 1961 का संशोधन" पर शिक्षु अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2021 के साथ मसौदा कैबिनेट नोट (डीएनसी) को जनता और हितधारकों की MyGov प्लेटफॉर्म पर

टिप्पणियों को शामिल करने के बाद अंतिम रूप दिया गया है। माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री से उचित अनुमोदन के बाद, अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए डीएनसी को परिचालित किया गया है।

4. राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन स्कीम (एनएपीएस): एनएपीएस योजना के अगले 5 वर्षों के विस्तार के लिए एनएपीएस 2 के अवधारणा नोट को अंतिम रूप दिया गया था। दूरस्थ क्षेत्रों और कमजोर वर्गों में शिक्षुता के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए एनएपीएस के दूसरे संस्करण में कुछ नई विशेषताओं को शामिल किया गया है।

5. केंद्रीय शिक्षुता परिषद: केंद्रीय शिक्षुता परिषद (सीएसी) शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। सीएसी के कार्यों में देश में शिक्षु अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार की सहायता और सलाह देना शामिल है। माननीय मंत्री, एसडी एंड ई की अध्यक्षता में 28 जून, 2021 को सीएसी की 37 वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में "शिक्षु अधिनियम, 1961" में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा की गई।

6. एनसीवीईटी-एमएसडीई समन्वय: माननीय मंत्री, एसडीई की अध्यक्षता में मंत्रालय और कौशल नियामक एनसीवीईटी (राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद) के बीच पहली समन्वय बैठक 02.06.2021 को आयोजित की गई थी और बैठक में विभिन्न दिशा-निर्देशों/ढांचे (क्रेडिट ढांचा, निगरानी और मूल्यांकन, शिकायत निवारण, कौशल विश्वविद्यालय, एनएसक्यूएफ समीक्षा, आदि) के निर्माण में प्रगति; पुरस्कार देने वाली संस्था/आकलन एजेंसी का दर्जा प्रदान करने के प्रस्तावों की स्थिति; टेक पोर्टल; एनसीवीईटी परिषद की बैठक आदि पर विचार-विमर्श किया गया।

7. कौशल प्रत्याशा और मूल्यांकन अध्ययन: मंत्रालय ने विनिर्माण क्षेत्र में कौशल प्रत्याशा और मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। अध्ययन में विनिर्माण क्षेत्र के सात खंडों को शामिल किया गया है, अर्थात् 'परिधान, वस्त्र, चमड़ा और जूते'; 'ऑटोमोटिव'; 'रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद'; 'विद्युत और ऑप्टिकल उपकरण'; 'बेसिक मेटल्स'; 'खाद्य उद्योग'; और 'फार्मास्यूटिकल्स सहित रसायन'। अध्ययन का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्रों की पहचान करना है जो प्रतिस्पर्धी हैं और विकास और रोजगार के लिए क्षमता प्रदर्शित करते हैं; और उन कौशल-सेटों का बारीक विवरण जो इन क्षेत्रों में आवश्यक हैं/होंगे।

8. व्यापार वर्गीकरण: व्यापार वर्गीकरण पर उप-समिति ने दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के लिए अलग श्रेणी के बनाने सहित सामान्य मानदंड लागत सिद्धांतों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

9. उत्कृष्टता केंद्र: माननीय मंत्री, एसडीई के अनुमोदन से, मंत्रालय ने गुणवत्ता और संचालन में आसानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौशल इकोसिस्टम में उत्कृष्टता केंद्र के पुरस्कार के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

10. राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति: एनसीवीईटी के तहत राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी) की 9वीं बैठक 24 जून, 2021 को डॉ निर्मलजीत सिंह कलसी, अध्यक्ष, एनसीवीईटी और श्री प्रवीण कुमार, सचिव, एमएसडीई की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें 46 अर्हता को समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था। समिति ने 16 अर्हताओं को मंजूरी दी, 3 अर्हताओं को सशर्त रूप से अनुमोदित किया गया और 27 अर्हताएं सम्मिलित करने वाले निकायों को वापस कर दी गईं। इसके साथ, अब तक कुल 4354 अर्हताओं को एनएसक्यूएफ से जोड़ा गया है।

11. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद: अध्यक्ष, एनसीवीईटी और कार्यकारी सदस्यों, एनसीवीईटी द्वारा प्रभार ग्रहण करने के बाद, अध्यक्ष, एनसीवीईटी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की तीसरी परिषद की बैठक 15 जून, 2021 को आयोजित की गई थी। अन्य निर्णयों में, लिए गए कुछ प्रमुख निर्णय डिजिलॉकर के सहयोग से जारी किए गए सभी प्रमाण-पत्रों के संग्रह के रूप में कार्य करने और हिंदी के अलावा भारतीय भाषाओं में अर्हता के विकास के थे।

12. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन: माननीय मंत्री, एसडीई की अध्यक्षता में एनएसडीएम की संचालन समिति की दूसरी बैठक 29 जून, 2021 को दोपहर 12.00 बजे वीसी के माध्यम से हुई, जहां प्राप्त प्रगति की समीक्षा की गई और एक नई नीति फ्रेम करने का निर्णय लिया गया।

13. महात्मा गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप: कोविड 19 महामारी द्वारा लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण, एमजीएनएफ चरण II कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा को संशोधित करने का निर्णय लिया गया और आईआईएम बैंगलोर को अवगत कराया गया। लिखित परीक्षा आयोजित करने की तिथि जुलाई, 2021 के तीसरे सप्ताह में आगे बढ़ा दी गई है और कार्यक्रम 18-19 अक्टूबर, 2021 के बीच शुरू होने वाला है।

14. प्रशिक्षकों के प्रशिक्षक के लिए संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए नई स्कीम: राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) के माध्यम से प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण और कायाकल्प के उद्देश्य से एक समग्र स्कीम दृष्टि (प्रशिक्षक कौशल का

विकास और पुनर्जीवन और प्रशिक्षण अनुकूलता का विकास) के लिए एक अवधारणा नोट तैयार किया गया था।

15. मुख्य सचिवों के साथ कैबिनेट सचिव की बैठक: 24 जून को राज्य के मुख्य सचिवों के साथ कैबिनेट सचिव द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया, और बैठक को मंत्रालय द्वारा कोविड से संबंधित हस्तक्षेपों और इन हस्तक्षेपों को सफल बनाने के लिए राज्यों की अपेक्षाओं के बारे में जानकारी दी।

16. महामारी के आलोक में कौशल रणनीति पर वीसी, नीति आयोग की बैठक: महामारी के दौरान कौशल के लिए विशिष्ट कौशल रणनीतियों को अपनाने पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उपाध्यक्ष नीति आयोग द्वारा 16 जून को एक बैठक आयोजित की गई थी।

17. दस सबसे पिछड़े जिलों के बारे में स्कीम: 18 जून को सीईओ नीति आयोग की बैठक के आधार पर मंत्रालय ने कौशल में पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए मानकों का फैसला किया और उसी के आधार पर दस सबसे पिछड़े जिलों की सूची तैयार की। इन जिलों के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है।

18. विदेश मामलों की स्थायी समिति: 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए कौशल पहल के संबंध में विदेश मामलों की स्थायी समिति की बैठक में साक्ष्य दिया।

*****